न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 43/2022 (GCMS No. 2022/87)

ईश्वर सिंह पुत्र नौरंग जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

—प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. धीरसिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मनभरी देवी पत्नी जसवंत सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. संजय कुमार पुत्र जसवंत सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. बजरंग पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. महावीर पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. मोहन लाल रामेश्वर जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. आशाराम पुत्र चीमनाराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू। (दौराने दावा मृतक)
   - 9/1. राजेन्द्र पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
   - 9/2 देवकरण पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
   - 9/3. बनवारीलाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
   - 9/4. इन्द्रा पुत्री आशाराम पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर हाल आबाद चंदू का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
10. कमला पुत्री बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
11. दयानन्द पुत्र बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
12. महेन्द्र पुत्र बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
13. महेश पुत्र बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
14. रामचन्द्र पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
15. विद्याधर पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
16. विनोद पुत्र बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
17. विरेन्द्र पुत्र बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

47

18. शांति पुत्री चिमनाराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (दौराने दावा मृतक)
    18/1. प्यारेलाल पुत्र शांति व गोपालराम सूरा जाति जाट निवासी सुरा का बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
    18/2. ताराचन्द पुत्र शांति व गोपालराम सूरा जाति जाट निवासी सुरा का बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
    18/3. सावित्री पुत्री शांति व गोपालराम सूरा जाति जाट निवासी सुरा का बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
19. सुमित्रा पुत्री बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
20. सुरेन्द्र पुत्र बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
21. संगारी पत्नी बदरी जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
22. देवेन्द्र पुत्र बिरबल सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
23. योगेन्द्र पुत्र बिरबल सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
24. विजेन्द्र पुत्र बिरबल सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
25. सत्येन्द्र पुत्र बिरबल सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
26. सकुन्तला पत्नी बिरबल सिंह जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
27. बैंक ऑफ बड़ौदा अलीसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
28. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
29. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान
वकील अप्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया

निर्णय

दिनांक 18.06.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कंकड़ेऊ खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.01 है0, ख0न0 233/18 रकबा 0.87 है0, ख0न0 234/18 रकबा 0.71 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.59 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। ख0न0 3.24 है0 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। ख0न0 21 रकबा 2.34 है0 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। ख0न0 24 रकबा 0.70 है0, ख0न0 25 रकबा 0.02 है0, ख0न0 26 रकबा 2.74 है0, ख0न0 39 रकबा 4.28 है0, ख0न0 40 रकबा 0.01 है0, ख0न0 41 रकबा 3.67 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 11.60 है0 अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है इसी प्रकार ख0न0 22 रकबा 0.01 है0, ख0न0 23 रकबा 1.35 है0, ख0न0 27 रकबा 0.01 है0, ख0न0 28 रकबा 8.53 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.90 है0 अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 26 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए एक प्रचलित रास्ता खेत ख0न0 41, 39 व 20 से होता हुआ प्रार्थी के खेत में आता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत में पहुंचने के लिए एक अन्य नजदीकी रास्ता गै0मु0 सड़क से ख0न0 23 व 21 से होता हुआ प्रार्थी के खेत में लगता है जिसकी दूरी सबसे कम है। प्रथमदृष्टया प्रार्थी को जो प्रचलित रासता है उक्त रास्ते को कटानी किया जाना उचित है क्योंकि प्रार्थी अपने पिता के समय से ही उक्त रास्ते से आता जाता रहा है। ख0न0 20 में किसी का कोई अवरोध नहीं है लेकिन ख0न0 39 व 41 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 प्रार्थी को अपने

जोत में आने जाने के लिए मना कर रहे है तथा उक्त प्रचलित रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहे है। जबकि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी जोत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिये प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। दिनांक 20.03.2022 को प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता कटानी दर्ज करवाने हेतु कहा तो उक्त अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के यहां पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख0न0 17, 233/18, 234/18 में आने–जाने के लिये खेत ख0न0 41, 39 व 20 में से मुख्य रास्ते तक 5 मीटर चोड़ा रास्ता कटानी किये जाने के आदेश प्रदान करें या उक्त रास्ता दिया जाना संभव नहीं होने पर नया रास्ता गै0मु0 सड़ से ख0न0 23 व 21 से होकर प्रार्थी के खेत तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर ख0न0 20 में से रास्ता दिये जाने में सहमती जाहिर की। अप्रार्थी संख्या 4, 14, 22, 23 व 25 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए एक रास्ता ख0न0 41, 39 व 20 में से होता हुआ आता है परन्तु ख0न0 23 व 21 में से होता हुआ कोई रास्ता नहीं लगता है ना ही पूर्व में कभी कोई रास्ता रहा है। प्रार्थी कारासता हमेशा से ही पगडण्डी के रूप में ख0न0 41, 39 व 20 में से ही होकर जाता है। इसलिये प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध होते हुए भी वह नये रास्ते की मांग कर रहा है जो धारा 251क के विरूद्व है। इसलिये प्रार्थी को खेत ख0न0 21 व 23 में से रास्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में विरोधाभाषी तथ्यों का अंकन किया है वह एक ओर से पूर्व में रास्ता विद्यमान होने का कथन करता है तथा दूसरी ओर ख0न0 21 व 23 में से रास्ते की मांग कर रहा है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 की ओर से एडवोकेट श्री विजयसिंह लालपुरिया ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया। अनावेदकगण संख्या 2, 3, 9/1 से 9/4, 10 से 13, 15, 16, 17, 18/1 से 18/3, 19 से 21, 24, 26 से 28 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2, 3, 9/1 से 9/4, 10 से 13, 15, 16, 17, 18/1 से 18/3, 19 से 21, 24, 26 से 28 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1148 दिनांक 10.06.2025 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये रास्ते की मांग नहीं की गई है। उक्त भूमि में पहूंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 493 मीटर है जबकि आवेदक द्वारा चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त भी ख0न0 23 व 21 में से होता हुआ लघूतम रास्ता हो सकता है जिसकी लम्बाई 265 मीटर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5

407

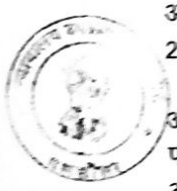

ग्रागायत 8 ने तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार लघूतम रास्ता दिया जाने में सहमती जाहिर की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 17, 233/18, 234/18 में आने जाने हेतु ख0न0 41, 39, 20 में से तथा ख0न0 21 व 23 में से जो भी उपलब्ध हो रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा ख0न0 21 व 23 में होकर लघूतम रास्ता जिसकी लम्बाई 265 मीटर है, दिया जा सकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 17, 233/18, 234/18 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 21 व 23 में से तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट में अंकित लघूतम रास्ता 4 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 21 व 23 में से रास्ते में आने वाली 1060 वर्गमीटर भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 21 व 23 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/25
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर